अंतरिम संसद के समक्ष अभिभाषण – 31 जनवरी 1950

सत्र	-	पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
भारत के प्रधानमंत्री	-	पंडित जवाहरलाल नेहरू
अंतरिम संसद के अध्यक्ष	-	श्री जी.वी. मावलंकर

माननीय सदस्यगण,

आज यहां भारत के जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए मैं भावविह्वल हो रहा हूं और मेरी आंखों के सामने भारत के हाल के कठिन और संघर्षपूर्ण अतीत का दृश्य घूम रहा है। हम भारत गणराज्य की इस प्रभुत्व सम्पन्न संसद में एकत्र हुए हैं तथा यहां हमें अपनी मातृभूमि और लाखों देशवासियों की सेवा का उच्च दायित्व सौंपा गया है। यह एक महान और पवित्र विश्वास है तथा आपके राष्ट्रपति के रूप में मैं विनम्रतापूर्वक इसका निर्वाह करूंगा।

इस ऐतिहासिक अवसर पर हमें सहज ही महात्मा गांधी का स्मरण हो आया है। हम उनके प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उस राष्ट्रपिता की भावनाओं के अनुरूप जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, आओ हम इस महान दायित्व को स्वीकार करें तथा भारत के लोगों के बीच एकता और सद्भावना, साम्प्रदायिक सौहार्द, वर्ग भेद उन्मूलन तथा जन्म जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव को दूर करने और एक शांतिपूर्ण, सामाजिक भारत की स्थापना करने संबंधी उनके इस संदेश को जिससे कि देश के सभी नागरिकों को प्रगति के समान अवसर प्राप्त हों, सदैव याद रखें।

विश्व के सभी देशों के साथ शांतिपूर्ण तथा मित्रतापूर्ण संबंध बनाने तथा विश्व शांति स्थापित करने में यथासंभव सहायता देने की मेरी सरकार की दृढ़ नीति है। भारतीय गणतंत्र का न तो कोई देश शत्रु है और न ही किसी से इसकी पुरानी शत्रुता है तथा मेरी सरकार ऐसी नीति अपनाए रखना चाहती है जिससे कि विश्वशांति की स्थापना हो और ऐसी गुटबंदी से बचा जाए जो किसी राष्ट्र के प्रति शत्रुता पैदा करती हो।

भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र है, परन्तु उसने राष्ट्रमंडल में सम्मिलित रहने का निर्णय किया है। यह एक ऐसी अनूठी बात है जो संवैधानिक कानून और इतिहास के लिए अभूतपूर्व है। इस प्रकार हम किसी भी तरह अपनी स्वतंत्रता को सीमित नहीं कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रमंडल के प्रतिनिधि देशों के समूह के साथ आपसी मित्रता और सहयोग बनाए रखने की हमने इच्छा व्यक्त की है। हाल ही में मेरे प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए कोलम्बो गए थे। यह सम्मेलन इस बात का एक उदाहरण था कि किस प्रकार स्वतंत्र राष्ट्र आपस में मिल बैठ सकते हैं, मित्रतापूर्ण माहौल में विश्व के सम्मुख उपस्थित कठिन समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं तथा किसी की भी स्वतंत्रता और संप्रभुता का अतिक्रमण किए बिना कोई सर्वसम्मत कार्यप्रणाली खोज सकते हैं।

विदेशी शक्तियों से हमारे संबंध मित्रतापूर्ण हैं और मेरी सरकार ने बड़ी संख्या में देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। स्विट्जरलैंड, जिसकी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की एक महान परम्परा रही है, के साथ एक मैत्री समझौता किया गया है। ईरान, नेपाल और संयुक्त राष्ट्र अमरीका के साथ मैत्री और वाणिज्यिक समझौतों के लिए बातचीत जारी है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे प्रधानमंत्री ने इस महान देश की हाल ही में यात्रा की है और इस यात्रा में भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच परस्पर बेहतर समझ-बूझ, सम्मान और निकट संबंध स्थापित हुए हैं।

मेरी सरकार ने चीन की नई सरकार को विधित: मान्यता दी है और आशा है कि जल्द ही राजनयिक संबंध स्थापित होंगे। इस महान देश के साथ हमारे मित्रतापूर्ण और सांस्कृतिक संबंध दो हजार वर्ष पुराने हैं। मेरा विश्वास है कि हमारे ये मैत्री संबंध बने रहेंगे तथा यह एशिया और विश्व की शांति को बनाए रखने में सहायक होंगे।

यूरोप, अमरीका और आस्ट्रेलिया के देशों के साथ भारत अपने मैत्री सम्पर्कों का विकास कर रहा है। यह स्वाभाविक है कि भारत की एशिया महाद्वीप में और भी अधिक रुचि होनी चाहिए क्योंकि यह इसी का एक हिस्सा है तथा साथ ही साथ अफ्रीका महाद्वीप में भी इसकी बहुत रुचि है भारत की मुख्य दिलचस्पी अभी तक पराधीन लोगों की स्वतंत्रता में तथा विभिन्न राष्ट्रों और जनता के पूर्ण विकास के मार्ग की अड़चनों को दूर करने में है। वह किसी भी रूप में औपनिवेशिक शासन जारी रहने के साथ किसी भी तरह के रंगभेद के पूर्णत: खिलाफ है। एशिया में आजादी की लहर चल रही है, लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ भागों में अशांति और हलचल है। मेरा पूरा विश्वास है कि इस हलचल से शांति और स्वतंत्रता का सृजन होगा तथा एशिया के सभी देशों के बीच सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित होंगे।

हाल ही में स्वतंत्र "यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडोनेशिया" की स्थापना के रूप में एक ऐतिहासिक घटना घटी है। हमने इसका विशेषरूप से स्वागत किया है क्योंकि भारत और इंडोनेशिया के लोगों के बीच अतीत में तथा वर्तमान समय में घनिष्ठ संबंध

रहे हैं। अपने बीच "यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडोनेशिया" के राष्ट्रपति का स्वागत करना तथा उनको और वहां की जनता के लिए अपनी शुभकामनाएं देना हमारे लिए प्रतिष्ठा और गौरव की बात है।

भारत के लोग बड़ी संख्या में अफ्रीका, फिज़ी, वेस्टइंडीज, मारीशस द्वीप तथा अन्य देशों में रह रहे हैं। उनके लिए हमारी सदैव सलाह रही है कि वे वहां के मूल निवासियों के साथ तादात्म्य स्थापित करें और उस देश को ही अपना मूल निवास समझें।

मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है कि अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए और हमारे बीच अनेक मामलों पर विवाद है। हमारा इतिहास हमारी संस्कृति और अपरिवर्तनीय भौगोलिक स्थितियां भारत और पाकिस्तान को एक-दूसरे के साथ मैत्री और सहयोगपूर्वक रहने के लिए बाध्य करती हैं। परन्तु हाल की घटनाओं से मिले गहरे घाव को भरने में समय लगेगा। हमारी सरकार की नीति मरहम लगाने की प्रक्रिया में हर प्रकार की सहायता देने का प्रयास करना है। इसी नीति के अनुसार मेरी सरकार ने पाकिस्तान सरकार से यह प्रस्ताव किया है कि दोनों ही सरकारें यह औपचारिक घोषणा करें कि वे अपने बीच किसी विवाद के समाधान के लिए युद्ध का सहारा नहीं लेंगी और ऐसे विवादों के निपटारे के लिए वार्ता, मध्यस्थता अथवा मामले को किसी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को सौंपने जैसे उपायों का आश्रय लेंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान सरकार इस प्रस्ताव को उसी भावना के साथ स्वीकार करेगी जिस भावना से यह प्रस्ताव किया गया है और इस प्रकार दोनों देशों के बीच व्याप्त दुर्भाग्यपूर्ण तनाव को समाप्त करने में सहायक होगी।

भारत और पाकिस्तान के बीच व्याप्त तनाव के प्रमुख कारणों में जम्मू और कश्मीर के भविष्य पर विवाद है। यह मामला सुरक्षा परिषद के विचाराधीन है और इस स्थिति में मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता जिससे उस संस्था के प्रयासों से मामले के उचित और शांतिपूर्ण समाधान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। मेरी सरकार ने बार-बार अपना इरादा स्पष्ट किया है कि राज्य के लोग स्वतंत्र रूप से स्वयं यह निर्णय लें कि वे भारत के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है परन्तु अभी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाई है कि लोगों की इच्छा की स्वतंत्र घोषणा की जा सके। जब तक ऐसा नहीं होता और इस कठिन समस्या का संतोषजनक समाधान नहीं निकल आता, भारत उस राज्य तथा वहां के लोगों की आक्रमण से रक्षा करने का अपना दायित्व निभाता रहेगा।

गत ढाई वर्षों से भारत के मानचित्र में भारी परिवर्तन हुआ है। सैकड़ों रियासतें समाप्त हो गई हैं या बड़ी रियासतें बन गई हैं। यह उल्लेखनीय परिवर्तन शांतिपूर्ण ढंग से किया गया है और 500 से अधिक रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया व्यावहारिक

रूप से पूरी कर ली गई है। अब मात्र 16 राज्य रह गए हैं। केन्द्रीय सरकार 1 अप्रैल से संघ और राज्यों के संघीय कार्य अपने हाथ में ले लेगी। मेरी सरकार चालू सत्र के दौरान एक विधेयक लाने पर विचार कर रही है जिससे जहां तक केन्द्रीय कानूनों का संबंध है, राज्यों और शेष भारत के बीच कानून बनाने की प्रक्रिया में समानता लाई जा सके।

मेरी सरकार देश की आर्थिक स्थिति के मामले पर काफी चिन्तित है। सदियों से साम्राज्यवादी शासन की यातना झेलने वाले भारत को विश्व युद्ध का भारी बोझ भी उठाना पड़ा। उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई थी, आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई थी और मुद्रास्फीति हो गई थी। मेरी सरकार का प्राथमिक लक्ष्य लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। बंटवारे से उत्पन्न भारी कठिनाइयों के कारण, जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ आ पड़ा है, वांछित प्रगति नहीं हुई है। रक्षा व्यय का बोझ काफी अधिक रहा है तथा लाखों विस्थापितों के राहत और पुनर्वास पर भी काफी धन खर्च करना पड़ा है। खाद्यान्नों की कमी के कारण सरकार को भारी लागत पर बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों का देश में आयात करना पड़ा है। मेरी सरकार का लक्ष्य मुद्रास्फीति को रोकना तथा धीरे-धीरे मूल्य वृद्धि को कम करना है। इनके अतिरिक्त भारों तथा हमारी अर्थव्यवस्था में समय-समय पर होने वाले कुछ उतार-चढ़ावों के कारण राष्ट्र-निर्माण के अनेक पक्षों यथा—शिक्षा और स्वास्थ्य जिसे मेरी सरकार अधिक महत्व देती है, के विकास में विलम्ब हुआ है। मेरी सरकार को इस विलम्ब का अत्यधिक खेद है। तथापि देश के समक्ष जो कठिन परिस्थितियां थीं उनमें यह आवश्यक भी था कि प्रत्येक प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया जाए ताकि भविष्य की प्रगति का सुदृढ़ ढंग से सूत्रपात किया जा सके। व्यय में निश्चित रूप से कमी हुई है।

हमारी रेलवे में, जिस पर युद्ध के दौरान और उसके तत्पश्चात् विभाजन का गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, अनेक दिशाओं में स्वागत योग्य सुधार हुआ है। आगामी प्रथम अप्रैल से भारतीय राज्यों और संघ राज्यों की रेलवे का भारत सरकार की रेलवे के साथ जुड़ने से पूरे देश में एक राष्ट्रीयकृत रेल प्रणाली शुरू होगी।

मेरी सरकार की मंशा एक योजना आयोग का गठन करने की है ताकि देश के विकास हेतु हम अपने उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग कर सकें। इस आयोजना के लिए आंकड़े संबंधी जानकारी की आवश्यकता होगी। इसलिए केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन करने का प्रस्ताव है। इस बात को याद रखना चाहिए कि आयोजना के उद्देश्य स्पष्ट हों तथा कोई भी प्रयास जनता के पूरे सहयोग से ही सफल हो सकता है। जब सरकारी एजेंसियों, उत्साह और सहयोग के बीच समन्वय होगा केवल तभी आर्थिक और सामाजिक विकास बड़े पैमाने पर हो सकता है।

मेरी सरकार पिछले कुछ दिनों से सरकारी तंत्र का पुनर्गठन करने पर भी विचार कर रही है ताकि इसे और अधिक कार्यकुशल बनाया जा सके और बर्बादी को रोका जा सके।

मैंने हमारे रक्षा बलों पर होने वाले भारी व्यय का उल्लेख किया है। मेरी सरकार भारत में तथा इसके बाहर शांति को बढ़ावा देने के प्रति समर्पित है परन्तु विगत ढाई वर्ष के दौरान उसे परेशानी का सामना करना पड़ा है। रक्षा व्यय में कटौती करके वह ऐसे समय में देश के लिए खतरा पैदा नहीं करना चाहती थी जबकि देश के अन्दर और बाहर की विनाशकारी ताकतें इसकी सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर रही थीं। स्वतंत्रता की पहली आवश्यक शर्त यह है कि इसकी सुरक्षा करने की सामर्थ्य होनी चाहिए और कोई भी देश ऐसे महत्वपूर्ण मामले में जोखिम नहीं उठा सकता। इसलिए सैन्य विभाजन की प्रक्रिया, जो विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हो जानी चाहिए थी, विलंब से और धीमी गति से प्रारम्भ हुई। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारी रक्षा सेनाओं ने अपने दायित्वों को प्रशंसनीय ढंग से निभाया तथा अपनी समुचित निपुणता के कारण प्रशंसा और सम्मान प्राप्त किया है। जबकि देश की सुरक्षा करना किसी सरकार की पहली जिम्मेदारी है। उस समय वे रक्षा में यथासम्भव कटौती कर रहे हैं ऐसा वे मितव्ययिता और शांति की दृष्टि से कर रहे हैं।

खाद्यान्न एक ऐसा मद है जिस पर हमारा राष्ट्रीय व्यय अधिक हुआ है और इस समस्या के समाधान हेतु उनके प्रयास किये गये हैं। मेरी सरकार ने यह घोषणा की है कि 1951 के अंत तक हम खाद्यान्न में कमी को पूरा कर देंगे। साथ ही कपास और पटसन का, जो आवश्यक औद्योगिक कच्चा माल है तथा इनकी कम आपूर्ति की जाती है, पर्याप्त उत्पादन सुनिश्चित करना आवश्यक है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि खाद्यान्न उत्पादन में निश्चित रूप से प्रगति हो रही है और इसमें वृद्धि करने के लिए हम अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाएं चला रहे हैं। खाद्यान्नों की खरीद हमारी अल्पकालीन योजना का आवश्यक अंग है। सौभाग्यवश सामान्यत: फसल अच्छी हुई है यद्यपि कुछ क्षेत्रों में शीतकालीन वर्षा का अभाव रहा है और मद्रास में तो यह बिल्कुल नहीं हुई है। अधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए जनता के विशेषत: किसानों के भरपूर सहयोग की आवश्यकता है। देश की प्रमुख योजनाओं में कुछ नदी घाटी परियोजनाएं शामिल हैं। इस समय इनमें से तीन परियोजनाएं अर्थात् दामोदर घाटी, भाखड़ा बांध और हीराकुंड निर्माणाधीन हैं। सरकार इन परियोजनाओं को सिंचाई, खाद्यान्न और पन विद्युत की दृष्टि से अधिक महत्व देती है।

मुझे इस बात की खुशी है कि देश में वैज्ञानिक अनुसंधान में पर्याप्त रूप से प्रगति हुई है। अन्तत: सभी प्रकार की प्रगति विज्ञान और इसके उपयोग पर निर्भर करती है। हाल ही में दो बड़ी राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं शुरू की गई हैं। इनमें से एक राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला पुणे में और दूसरी राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला दिल्ली में है।

ये दोनों प्रयोगशालाएं भव्य अनुसंधान संस्थान हैं। उपरोक्त दो प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त नौ और राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, इनमें से पांच प्रयोगशालाएं इस वर्ष ही कार्य करना प्रारम्भ कर देंगी। ये प्रयोगशालाएं केवल सभी प्रकार के अनुसंधान कार्य ही नहीं करेंगी बल्कि उद्योग की आवश्यकताओं को भी पूरा करेंगी इससे औद्योगीकरण में सहायता मिलेगी।

देश की समृद्धि शहरी और कृषि श्रमिकों के कल्याण पर निर्भर करती है। गत दो वर्षों के दौरान कारखाना अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाए गए हैं और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 एवं कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजना अधिनियम, 1948 पारित कर सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं की शुरुआत की गई है। मेरी सरकार शीघ्र ही श्रम संबंधों और ट्रेड यूनियनों के संबंध में दो व्यापक विधेयक आपके समक्ष प्रस्तुत करेगी। इस समय एक अखिल भारतीय कृषि श्रम जांच चल रही है और जांच के पूरा होने पर इससे कृषि उत्पादन में लगे लोगों की दशा में सुधार लाने के उपाय तैयार करने में सरकार को सहायता मिलेगी।

पाकिस्तान से भारी संख्या में आए विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या न केवल उनके लिए बल्कि हमारे देश के लिए भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मेरी सरकार ने इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया है। इसमें एक हद तक सफलता भी मिली है और बहुत सारे लोगों का पुनर्वास किया गया है। परन्तु यह भी सत्य है कि अधिकांश लोगों का पुनर्वास होना अभी बाकी है और उन्हें काफी कठिनाई उठानी पड़ी है। मेरी सरकार इन विस्थापित लोगों का यथाशीघ्र पुनर्वास करने के लिए कटिबद्ध है।

इस सत्र के दौरान उचित समय अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और मेरी सरकार के वित्तीय प्रस्तावों के अनुमोदन का अनुरोध आपसे किया जाएगा।

आपके समक्ष बीस विधेयक विचाराधीन हैं। उनमें से कुछ समिति-चरण से गुजर चुके हैं और कुछ विधेयकों पर पहले ही सिद्धान्त रूप में चर्चा हो चुकी है। इनमें से कुछ जिन पर अभी भी समितियों द्वारा विचार किया जा रहा है, उन्हें सत्र के दौरान समितियों की सिफारिशों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

वर्तमान सत्र के आरम्भ होने से पूर्व कुछ अध्यादेश जारी किए गए थे। इनमें से कुछ जिनका स्थायी विधेयन अपेक्षित है, नए विधेयकों के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किए जायेंगे।

इस सत्र के दौरान जिन अन्य विधायी उपायों को आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाने का प्रस्ताव है, उनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण उल्लेख के योग्य हैं:–

आयकर अन्वेषण समिति की सिफारिशों को देखते हुए भारतीय आयकर अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक, आयात और निर्यात अधिनियम की

अवधि बढ़ाने के लिए विधेयक, कतिपय उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक विधेयक, भारत के कोयला संसाधनों के संरक्षण और कोयला खनन उद्योग के विनियमन के लिए एक विधेयक, अंतर-राज्य नदियों और नदी घाटियों के समुचित नियंत्रण और विकास के लिए एक विधेयक–ये कुछ अधिक महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें मेरी सरकार आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही है। यदि आरम्भिक कार्य समय पर निपट गया, तो नए संविधान के तहत चुनाव संबंधी विभिन्न विषयों को समाविष्ट करने के लिए सरकार का विचार एक व्यापक लोक प्रतिनिधित्व विधेयक भी प्रस्तुत करने का है।

मैंने विधायी क्षेत्र में होने वाले कार्य की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की है। समय-समय पर मेरी सरकार इनके बारे में और सामान्य जनता के हित से संबंधित अन्य विधायी कार्यवाही की घोषणा आपके सामने संक्षेप में करती रहेगी और उनकी आवश्यकता के बारे में भी बताएगी।

अब मैं आपको आपके कार्यों पर छोड़ता हूं। हम एक ऐसी अशांत दुनिया में जी रहे हैं जो अभी तक युद्ध के परिणामों से नहीं उबरी है, जो एक के बाद एक संकट से गुजर रही है, और जो संदेह, कड़वाहट और भय के घेरे से घिरी है। हमारे सामने भारी और कठिन दायित्व हैं और हम उनका समाधान केवल साहस, सहयोग और कठोर परिश्रम से ही कर सकते हैं। सर्वोपरि, मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे देश की उन्नति की नीवें अच्छी तरह और सच्चे ढंग से तभी डाली जा सकती हैं, जब वे सही उद्देश्यों, सही कार्य और मानस एवं उद्देश्य की अखंडता पर आधारित हों। महान कार्य क्षुद्र साधनों से पूरे नहीं हो सकते और न ही अनिष्टकारी विधियों से अच्छे परिणाम मिलते हैं। हमें और हमारी पीढ़ियों को महान चुनौतियों का सामना करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम राष्ट्रपिता द्वारा हमारे समक्ष रखे महान आदर्शों को अपना कर ही इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।

मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके कार्यों में ज्ञान, सहिष्णुता और सामंजस्यपूर्ण प्रयास की भावना से दिशा-निर्देश मिले।